राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 815वी बैठक दिनांक 01.11.2023 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 815वीं बैठक दिनांक 01.11.2023 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम उपस्थित थे :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री मुजीबुर्रहमान खान, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	9858/2023	1(a)	चूनापत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
2.	6127/2019	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
3.	10080/2023	1(a)	मैगनीज ऑर खदान	For ToR	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
4.	9651/2022	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
5.	10254/2023	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
6.	9710/2023	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
7.	9167/2022	1(a)	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
8.	9242/2022	1(a)	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
9.	9345/2023	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
10.	9619/2022	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
11.	9957/2023	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	निरस्त	निर्णय यथावत
12.	9036/2022	1(a)	पत्थर खदान	For Delist	Relisted and Sent to SEAC
13.	10327/2023	1(a)	रेत खदान	पर्यावरण स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त
14.	10260/2023	1(a)	गोल्ड खदान	For ToR	ToR स्वीकृत

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

15.	10403/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
16.	10408/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
17.	10114/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
18.	10148/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
19.	9761/2023	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
20.	9385/2022	7(c)	इण्डस्ट्रीयल पार्क	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
21.	9770/2023	5(f)	Manufacturing of Sulfonated Product	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्वीकृत
22.	नीतिगत निर्णय				

1. प्रकरण क्र 9858/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स वीर दुर्गादास मिनरल्स प्रा.लि. निवासी राठौर हाउस, एफ.सी.आई. गोडाउन के पास, चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) लाईमस्टोन खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 500010 टन प्रतिवर्ष, रकबा 221.043 हे., खसरा माईनिंग लीज अनुसार, ग्राम – सुवाखेड़ा एवं खेड़ा राठौर, तहसील – जावद, जिला नीमच (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 676वी बैठक दिनांक 11.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–2) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत **राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 809वीं बैठक दिनांक 04.10.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श निर्णय लिया गया कि अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर माईनिंग लीज 11 भागो में विभक्त है एवं खदान से लगी हुई आबादी व पक्की सड़क परिलक्षित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार यह भी गूगल ईमेज में चिहिन्त नहीं किया गया है कि कौन से ब्लॉक किस नम्बर है जिसमें खनन किया जायेगा। अतः परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ आगामी SEIAA बैठक में स्पष्टीकरण हेतु प्रस्तुत होवे।

प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 11.10.2023 के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध किया गया।

उक्त प्रकरण में दिनांक 01.11.2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री कानसिंह राठौर, संचालक एवं पर्यावरण सलाहकार श्री शिवकुमार लाखरा Envirogreen Consultants (India) Pvt. Ltd Udaipur प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित हुए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं SEAC की 676वी बैठक

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

दिनांक 11.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया

(i) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा एवं भारत सरकार द्वारा ToR में की अनुशंसा अनुसार ब्लाक नं. 02, 04 एवं 10 में ही खनन कार्य किया जायेगा तथा शेष ब्लॉक नं. 01,03, 05, 06, 07, 08, 09 को खैर खनन के रूप में छोड़ा जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उपरोक्तानुसार खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर ही खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **मानब बसाहट एवं पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक"** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। (माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार निजी भूमि पर भू–स्वामित्व एवं परियोजना प्रस्तावक के मध्य आपसी सहमति है तो वह जिले के जिलाध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष किये गये विधिसम्मत ही मान्य की जावेगी।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा निजी भूमि पर भू–स्वामी की लिखित सहमति उपरांत ही वृक्षारोपण किया जाये।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में की गई प्रतिबद्धता अनुसार केवल शासकीय भूमि पर ही खनन कार्य किया जायेगा तथा निजी भूमि में खनन कार्य प्रारंभ करने से पूर्व भू–स्वामियों की लिखित सहमति प्राप्त करने के उपरांत निजी भूमि में खनन कार्य किया जायेगा।**

(vi) **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान एवं SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

(viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही **उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने** इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स वीर दुर्गादास मिनरल्स प्रा.लि. निवासी राठौर हाउस, एफ.सी.आई. गोडाउन के पास, चंदेरिया, छितौड़गढ़ (राजस्थान) लाईमस्टोन खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 500010 टन प्रतिवर्ष, रकबा 221.043 हे., खसरा माईनिंग लीज अनुसार, ग्राम – सुवाखेड़ा एवं खेड़ा राठौर, तहसील – जावद, जिला नीमच (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यालय खनिज साधन विभाग भोपाल के आदेश क्र. एफ 3–58/2018/12/1 दिनांक 07.02.2020 के अनुसार 50 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 06.02.2050 तक वैध मान्य रहेगी।

2. प्रकरण क्र 6127/2019 परियोजना प्रस्तावक श्री मूलशंकर लोहार आत्मज श्री रामरतन लोहार, निवासी ग्राम अनंतखेड़ी, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ (म.प्र.) पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 19000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.0 हे., खसरा 512, ग्राम – अनंतखेड़ी, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 809वीं बैठक दिनांक 04.10.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

" राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 676वी बैठक दिनांक 11.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण की ईआईए में इन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान एवं कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान की विस्तृत विवेचना की गई। अतः परियोजना प्रस्तावक इन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान एवं कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान सहित अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ आगामी SEIAA बैठक में स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित होवें। "

प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 09.10.2023 के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध किया गया।

उक्त प्रकरण में दिनांक 01.11.2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री मूलशंकर लोहार एवं पर्यावरण सलाहकार श्री एस.बी. सिन्हा Aseries Envirotek India Pvt Ltd Noida प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित हुए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) के समक्ष परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि

(मुजीबुर्रहमान खान)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परधि मे 02 अन्य स्वीकृत/संचालित खदाने क्रमशः रकबा 2.0 हे. (श्री श्रेणिक कौठारी) एवं रकबा 2.0 हे. (श्री मेहन सिंह सोलंकी) है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के माध्यम से यथाशीघ्र निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की जाये :–

1. **कलस्टर में सम्मिलित संचालित खदानों** के वास्तविक परिदृश्य के दृष्टिगत क्षेत्र की पर्यावरणीय संवेदनशीलता के मद्देनजर पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण की रोकथाम हेतु समस्त तकनीकी पहलुओं का प्रस्तुतीकरण के दौरान हुई चर्चानुसार Environmental Parameters का पुनः आकलन एवं अध्ययन कर पुनरीक्षित **Site Specific** इन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान (प्रस्तावित खदान का) यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाये।
2. **कलस्टर में सम्मलित अन्य संचालित खदानों के कलस्टर का इन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान** भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों/आदेशों के अनुरूप तैयार कर अनुपालन प्रतिबद्धता सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत की जाये। इसके अलावा Air Modeling में कलस्टर में सम्मिलित सभी खदानों की वायु गुणवत्ता, Air Modeling के Software का पूर्ण विवरण तथा Air Modeling Equation में उपयोग किये गये Data का पूर्ण विवरण अनिवार्यतः समावेश कर यथाशीघ्र प्रस्तुत की जाये।

तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

3. **प्रकरण क्र. 10080/2023 परियोजना प्रस्तावक** मेसर्स अर्पण फेरो एलायज, प्रोपराईटर, श्री अनिल चतुरमोहता आत्मज इंदरचंद चतुरमोहता, निवासी वार्ड नं0 11, एफसीआई कोसमी के सामने, बालाघाट, जिला–बालाघाट (म0प्र0) द्वारा मैंगजीन ओर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता **5741.77 घन प्रतिवर्ष, रकबा 28.01 हे0 खसरा** क्रमांक 396, ग्राम– मोहगांव, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की **पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति** के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 802वी बैठक दिनांक 24.08.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 665वी बैठक दिनांक 03.08.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक का ईमेल दिनांक 13.10.2023 के माध्यम से प्रकरण में प्राधिकरण के समक्ष उपरोक्त जानकारी के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने का अनुरोध किया गया है। **उक्त प्रकरण में दिनांक 01.11.2023 को परियोजना प्रस्तावक** श्री अनिल चतुरमोहता (ऑनलाईन) एवं पर्यावरण सलाहकार श्री एस.बी. सिन्हा **Aseries Envirotek India Pvt Ltd Noida** प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित हुए एवं प्रस्तुतीकरण के दौरान अवगत कराया गया कि यह प्रकरण क्षमता विस्तार का नहीं है। जबकि SEAC की 665वी बैठक दिनांक 03.08.2023 में इस प्रकरण के कार्यवाही विवरण के पृष्ठ संख्या 64 एवं 65 पर

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्रकरण क्षमता विस्तार का है उल्लेख किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण पुनः परीक्षण/स्पष्टीकरण हेतु **SEAC** को अग्रेषित किया जाये। तदोपरांत परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

4. प्रकरण क्र 9651/20203 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स टी.एन.सी. इंटरप्राईजेज, अधिकृत व्यक्ति, श्री रोहित अग्रवाल, निवासी 24, एम्पायर स्टेट, इंदौर बायपास, जिला इंदौर (म.प्र.) पत्थर व एम सेंड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 50000 व एम सेंड 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.980 हे., खसरा 440/1, 440/2, 441, 442, 456/1, 456/2, 461, 462, 455, ग्राम – पीतावली, तहसील देवास, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 809वीं बैठक दिनांक 04.10.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

" राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 678वी बैठक दिनांक 11.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण की ईआईए में इन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान एवं कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान की विस्तृत विवेचना की गई। अतः परियोजना प्रस्तावक इन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान एवं कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान सहित अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ आगामी SEIAA बैठक में स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित होवें।"

प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 09.10.2023 के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध किया गया।

उक्त प्रकरण में दिनांक 01.11.2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री रोहित अग्रवाल एवं पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव Green circle Inc. Gujrat प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित हुए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) के समक्ष परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत पर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परधि मे 05 अन्य स्वीकृत/संचालित खदाने है, जिनका कुल रकवा 17.10 हे. हैं। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के माध्यम से यथाशीघ्र निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की जाये :–

1. **कलस्टर में सम्मिलित संचालित खदानों के वास्तविक परिदृश्य के दृष्टिगत क्षेत्र की पर्यावरणीय संवेदनशीलता के मद्देनजर पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण की रोकथाम हेतु समस्त तकनीकी पहलुओं का प्रस्तुतीकरण के दौरान हुई चर्चानुसार** Environmental Parameters **का पुनः आकलन एवं अध्ययन कर पुनरीक्षित Site Specific इन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान (प्रस्तावित खदान का) यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाये।**

2. **कलस्टर में सम्मलित अन्य संचालित खदानों के कलस्टर का इन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों/आदेशों के अनुरूप तैयार कर अनुपालन प्रतिबद्धता सहित**

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

यथाशीघ्र प्रस्तुत की जाये। इसके अलावा Air Modeling में कलस्टर में सम्मिलित सभी खदानों की वायु गुणवत्ता, Air Modeling के Software का पूर्ण विवरण तथा Air Modeling Equation में उपयोग किये गये Data का पूर्ण विवरण अनिवार्यतः समावेश कर यथाशीघ्र प्रस्तुत की जाये।

तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

5. **प्रकरण क्र. 10254/2023** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स, अवनी कृपा डेवलपर्स, निवासी 62, नीर नगर, बिचौली, हप्सी, जिला इंदौर (म०प्र०) द्वारा पत्थर एवं एम–सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर– 20,000 एम–सेण्ड–20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.60 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 67, ग्राम रजूर, तहसील खरगोन जिला खरगोन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 679वी बैठक दिनांक 14.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–2) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत **राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 809वीं बैठक दिनांक 04.10.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया**

*राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान पूर्व से खुदी हुई एवं खदान के अंदर क्रेशर स्थापित होना परिलक्षित है जिसके संबंध में लीज स्वीकृति आदेश में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अतः उक्त प्रस्तावित खदान पूर्व में किसके द्वारा खनन कार्य किया गया है तथा क्रेशर किसका स्थापित है के संबंध में जिला खनिज अधिकारी से 15 दिवस में स्पष्ट जानकारी प्राप्त की जाये। तबतक प्रकरण **Delist** किया जाता है। तद्नुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।*

प्रभारी अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) खरगौन द्वारा ई–मेल दिनांक 20.10.2023 के माध्यम से उपरोक्त चाही गई जानकारी पत्र क्र. 1448 दिनांक 19.10.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त खदान पूर्व में श्री दिनेश पाटीदार के नाम वर्ष 2011 से 2021 तक स्वीकृत थी जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है तथा खदान के अंदर क्रेशर भी इन्हीं का स्थापित है जो लोहे का भंगार है जिसे विस्थापित कर दिया जावेगा।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) खरगौन** से प्राप्त जानकारी एवं SEAC की 679वी बैठक दिनांक 14.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तथा कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। (माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार समस्त वृक्षारोपण कार्यों हेतु निर्धारित लक्ष्य का अनिवार्यतः परिपालन एवं निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में SEAC द्वारा अनुशंसित गतिविधियों के साथ ही जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में वर्षा जल संचय कार्य, मौजूद जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार कार्य, शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल एवं शौचालय निर्माण के साथ ही उचित ढांचागत सुविधाएं **विकसित करने** इत्यादि कार्य सुनिश्चित किये जायें।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स, अवनी कृपा डेवलपर्स, निवासी 62, नीर नगर, बिचौली, हप्सी, जिला इंदौर (म0प्र0) द्वारा पत्थर एवं एम–सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर–20,000 एम–सेण्ड–20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.60 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 67, ग्राम रजूर, तहसील खरगोन जिला खरगोन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) खरगौन के आदेश क्र. 156–157 दिनांक 27.04.2023 एवं पत्र क्र. 780 दिनांक 13.07.2023 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 26.04.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

6. प्रकरण क्र 9710/20203 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एस.बी.ए. प्रा.लि. अधिकृत व्यक्ति, श्री बने सिंह ठाकुर, निवी 158, कंचन बागर, जिला इंदौर (म.प्र.) पत्थर व एम सेंड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 20000 व एम सेंड 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.0 हे., खसरा 510, 511/1, 511/2, 514 – 515/1, ग्राम – पीतावली, तहसील देवास, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 809वीं बैठक दिनांक 04.10.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

(मुजीबुर्रहमान खान) **सदस्य सचिव**	(अनिल कुमार शर्मा) **सदस्य**	(अरूण कुमार भट्ट) **अध्यक्ष**

" राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 676वी बैठक दिनांक 11.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण की ईआईए में इन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान एवं कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान की विस्तृत विवेचना की गई। अतः परियोजना प्रस्तावक इन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान एवं कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान सहित अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ आगामी SEIAA बैठक में स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित होवें।"

प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 09.10.2023 के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध किया गया।

उक्त प्रकरण में दिनांक 01.11.2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री बने सिंह ठाकुर एवं पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव Green circle Inc. Gujrat प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित हुए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) के समक्ष परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत पर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परधि मे 07 अन्य स्वीकृत/संचालित खदाने है, जिनका कुल रकवा 23.33 हे. हैं। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के माध्यम से यथाशीघ्र निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की जाये :–

1. **कलस्टर में सम्मिलित संचालित खदानों के वास्तविक परिदृश्य के दृष्टिगत क्षेत्र की पर्यावरणीय संवेदनशीलता के मद्देनजर पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण की रोकथाम हेतु समस्त तकनीकी पहलुओं का प्रस्तुतीकरण के दौरान हुई चर्चानुसार Environmental Parameters का पुनः आकलन एवं अध्ययन कर पुनरीक्षित Site Specific इन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान (प्रस्तावित खदान का) यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाये।**
2. **कलस्टर में सम्मलित अन्य संचालित खदानों के कलस्टर का इन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों/आदेशों के अनुरूप तैयार कर अनुपालन प्रतिबद्धता सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत की जाये। इसके अलावा Air Modeling में कलस्टर में सम्मिलित सभी खदानों की वायु गुणवत्ता, Air Modeling के Software का पूर्ण विवरण तथा Air Modeling Equation में उपयोग किये गये Data का पूर्ण विवरण का अनिवार्यतः समावेश कर यथाशीघ्र प्रस्तुत की जाये।**

तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

7. प्रकरण क्र. 9167/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ग्रीन माइनिंग कंपनी, पार्टनर श्री प्रशांत जैन, निवासी 108, राजुल कॉम्प्लेक्स आगा चौक, जिला जबलपुर (म0प्र0) द्वारा डोलोमाइट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 15364 टन प्रतिवर्ष, रकबा 1.40 हे0, खसरा क्रमांक 17, ग्राम ऐंठाखेड़ा, तहसील जबलपुर, जिला जबलपुर की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 811वीं बैठक दिनांक 06.10.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

" राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 668वीं बैठक दिनांक 09.08.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 804वीं बैठक दिनांक 05.09.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ईआईए प्रतिवेदन में जल व वायु मॉडलिंग, Cluster Management Plan की जानकारी समाहित नहीं की गई है तथा जल व वायु मॉनिटरिंग के फोटोग्राफ भी संलग्न नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ उपरोक्त के स्पष्टीकरण हेतु आगामी बैठक में प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होवें।

परियोजना प्रस्तावक का ईमेल दिनांक 26.09.2023 के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक श्री प्रशांत जैन अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार श्री राकेश चौबे के साथ प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित हुए।

परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रकरण के संबंध में सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज के साथ SEIAA बैठक में सही जानकारी के साथ उपस्थित होवें। तबतक प्रकरण Delist किया जाता है, तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।"

प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 04.10.2023 के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध किया गया।

उक्त प्रकरण में दिनांक 01.11.2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुशील जैन एवं पर्यावरण सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज Zenith Environment Consultancy Nodia प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित हुए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) के समक्ष परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं सैक की अनुशंसा पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत पर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परधि मे 05 अन्य स्वीकृत/संचालित खदाने है, जिनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो का परिपालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के माध्यम से यथाशीघ्र निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की जाये :–

1. कलस्टर में सम्मिलित संचालित खदानों के वास्तविक परिदृश्य के दृष्टिगत क्षेत्र की पर्यावरणीय संवेदनशीलता के मद्देनजर पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण की रोकथाम हेतु समस्त तकनीकी पहलुओं का प्रस्तुतीकरण के दौरान हुई चर्चानुसार Environmental Parameters का पुनः आकलन एवं अध्ययन कर पुनरीक्षित **Site Specific** इन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान (प्रस्तावित खदान का) यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाये।
2. कलस्टर में सम्मलित अन्य संचालित खदानों के कलस्टर का इन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों/आदेशों के अनुरूप तैयार कर अनुपालन प्रतिबद्धता सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत की जाये। इसके अलावा Air Modeling में कलस्टर में सम्मिलित सभी खदानों

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

की वायु गुणवत्ता, Air Modeling के Software का पूर्ण विवरण तथा Air Modeling Equation में उपयोग किये गये Data का पूर्ण विवरण का अनिवार्यतः समावेश कर यथाशीघ्र प्रस्तुत की जाये।

तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

8. प्रकरण क्र. 9242/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स भेड़ाघाट माइनिंग, प्रो. श्रीमती मिनी अग्रवारल निवासी – 455/2, गढ़ाफाटक रोड़, लाल स्कूल के पास, जवाहरगंज वार्ड, जिला जबलपुर (म0प्र0) द्वारा डोलोमाइट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 12004 टन प्रतिवर्ष, रकबा 1.20 हे0, खसरा क्रमांक 29/1, 29/2 ग्राम ऐंठाखेड़ा, तहसील जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 811वीं बैठक दिनांक 06.10.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

" राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 668वीं बैठक दिनांक 09.08.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 804वीं बैठक दिनांक 05.09.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ईआईए प्रतिवेदन में जल व वायु मॉडलिंग, Cluster Management Plan की जानकारी समाहित नहीं की गई है तथा जल व वायु मॉनिटरिंग के फोटोग्राफ भी संलग्न नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ उपरोक्त के स्पष्टीकरण हेतु आगामी बैठक में प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होवें।

परियोजना प्रस्तावक का ईमेल दिनांक 26.09.2023 के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक श्री प्रशांत जैन अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार श्री राकेश चौबे के साथ प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित हुए।

परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रकरण के संबंध में सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार श्री वरूण भारद्धाज के साथ SEIAA बैठक में सही जानकारी के साथ उपस्थित होवें। तबतक प्रकरण Delist किया जाता है, तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।"

प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 04.10.2023 के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध किया गया।

उक्त प्रकरण में दिनांक 01.11.2023 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत पर्यावरण सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज **Zenith Environment Consultancy Nodia** प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित हुए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) के समक्ष परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं सैक की अनुशंसा पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत पर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परधि मे 04 अन्य स्वीकृत/संचालित खदाने है, जिनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो का परिपालन होना परिलक्षित

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

नहीं हो रहा है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के माध्यम से यथाशीघ्र निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की जाये :–

1. कलस्टर में सम्मिलित संचालित खदानों के वास्तविक परिदृश्य के दृष्टिगत क्षेत्र की पर्यावरणीय संवेदनशीलता के मद्देनजर पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण की रोकथाम हेतु समस्त तकनीकी पहलुओं का प्रस्तुतीकरण के दौरान हुई चर्चानुसार Environmental Parameters का पुनः आकलन एवं अध्ययन कर पुनरीक्षित **Site Specific** इन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान (प्रस्तावित खदान का) यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाये।
2. कलस्टर में सम्मलित अन्य संचालित खदानों के कलस्टर का इन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों/आदेशों के अनुरूप तैयार कर अनुपालन प्रतिबद्धता सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत की जाये। इसके अलावा Air Modeling में कलस्टर में सम्मिलित सभी खदानों की वायु गुणवत्ता, Air Modeling के Software का पूर्ण विवरण तथा Air Modeling Equation में उपयोग किये गये Data का पूर्ण विवरण का अनिवार्यतः समावेश कर यथाशीघ्र प्रस्तुत की जाये।

तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

9. प्रकरण क्र. 9345/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश कुमार माहुले आत्मज स्व. श्री रामदुलारे माहुले, निवासी ग्राम परसवाड़ा चक, तहसील नैनपुर जिला मण्डला (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10001 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हे0, खसरा क्रमांक 21, ग्राम परसवारा चक, तहसील नैनपुर, जिला मंडला (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 811वीं बैठक दिनांक 06.10.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

" राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 668वीं बैठक दिनांक 09.08.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत राज्य ***स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 804वीं बैठक दिनांक 05.09.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया***

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ईआईए प्रतिवेदन में जल व वायु मॉडलिंग, Cluster Management Plan की जानकारी समाहित नहीं की गई है तथा जल व वायु मॉनिटरिंग के फोटोग्राफ भी संलग्न नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ उपरोक्त के स्पष्टीकरण हेतु आगामी बैठक में प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होवें।

परियोजना प्रस्तावक का ईमेल दिनांक 26.09.2023 के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक श्री प्रशांत जैन अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार श्री राकेश चौबे के साथ प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित हुए।

परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रकरण के संबंध में सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज के साथ SEIAA बैठक में सही जानकारी के साथ उपस्थित होवें। तबतक प्रकरण Delist किया जाता है, तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।"

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 04.10.2023 के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध किया गया।

उक्त प्रकरण में दिनांक 01.11.2023 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत पर्यावरण सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज Zenith Environment Consultancy Nodia प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित हुए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) के समक्ष परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत पर निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परधि मे 02 अन्य स्वीकृत/संचालित खदाने है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के माध्यम से यथाशीघ्र निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की जाये :-

1. **कलस्टर में सम्मिलित संचालित खदानों के वास्तविक परिदृश्य के दृष्टिगत क्षेत्र की पर्यावरणीय संवेदनशीलता के मद्देनजर पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण की रोकथाम हेतु समस्त तकनीकी पहलुओं का प्रस्तुतीकरण के दौरान हुई चर्चानुसार Environmental Parameters का पुनः आकलन एवं अध्ययन कर पुनरीक्षित Site Specific इन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान (प्रस्तावित खदान का) यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाये।**
2. **कलस्टर में सम्मलित अन्य संचालित खदानों के कलस्टर का इन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों/आदेशों के अनुरूप तैयार कर अनुपालन प्रतिबद्धता सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत की जाये। इसके अलावा Air Modeling में कलस्टर में सम्मिलित सभी खदानों की वायु गुणवत्ता, Air Modeling के Software का पूर्ण विवरण तथा Air Modeling Equation में उपयोग किये गये Data का पूर्ण विवरण का अनिवार्यतः समावेश कर यथाशीघ्र प्रस्तुत की जाये।**

तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

10. प्रकरण क्र. 9619/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स शिव कृपा एसोसियट, पार्टनर श्रीमती मंजू सिंह पत्नि श्री संजीव कुमार सिंह, निवासी–एमआईजी–2, 421, नियर हाउसिंह बोर्ड ऑफिस, प्रियदर्शनी नगर, जमोड़ी, जिला सीधी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता **13367 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.091 हेक्टेयर, खसरा नं. 773/4, 773/5, 773/6, 773/7, 773/8, 773/9, 774/4, 774/5, 774/6, 774/7, 774/8, 774/9, ग्राम वीरादेई, तहसील हनुमना, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 623वी बैठक दिनांक 22.02.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत **राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 794वीं बैठक दिनांक 22. 02.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 774वी बैठक दिनांक 16.03.2023 द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुददों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया –

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार खनन क्षेत्र से पश्चिम दिशा में 168 मीटर व उत्तर दिशा में 249 मीटर पर नदी परिलक्षित हो रही है जबकि प्रभारी अधिकारी खनिज, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा द्वार एकल प्रमाण पत्र क्र. 8727 दिनांक 22.12.2022 अनुसार प्रस्तावित खदान से नदी की दूरी 100 मीटर दर्शित है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 एवं सीपीसीबी की गाईडलाईन अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है) जिसके परिपालन में नदी से निर्धारित दूरी 200 मीटर छोड़ने के पश्चात् न्यूनतम खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध हो रहा है। अतः प्रकरण में कलेक्टर, जिला रीवा से प्रस्तावित खदान से नदी की दूरी के संबंध में स्पष्ट जानकारी 15 दिवस में प्राप्त की जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

उपरोक्त प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा लिये गये निर्णयानुसार चाही गई जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त हैं। अतः प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रीवा द्वारा ई–मेल दिनांक 23.10.2023 के माध्यम से प्रकरण में चाही गई जानकारी के संबंध में पत्र क्रं. 2932 दिनांक 28.08.2023 से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित खदान से नाला 160 मीटर पर पश्चिम दिशा में एवं 249 मीटर पर उत्तर दिशा में नदी परिलक्षित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा)** रीवा से प्राप्त जानकारी एवं SEAC की 623वी बैठक दिनांक 22.02.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. **परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाये।**

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू–जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू–जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदूषण रोकधाम हेतु पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये तथा वृक्षारोपण प्रस्तावित योजना का विस्तृत विवरण ईआईए में शामिल की जावेगी।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

X. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

XI. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

XII. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XIV. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए एवं इसका विश्लेषण ईआईए में शामिल किया जावे।

XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा, जिसका सम्पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।

XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

11. प्रकरण क्र. 9957/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री पीयूष आत्मज श्री सुरेश चंदेल, निवासी बिष्ठान रोड़, –खरगोन, जिला–खरगोन (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान एवं एम–सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5000 व एम–सेंण्ड– 3550 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हे0, खसरा क्रमांक 05, 07, ग्राम मोमिनपुरा, तहसील खरगोन, जिला– खरगोन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 811वीं बैठक दिनांक 06.10.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

" राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 668वीं बैठक दिनांक 09.08.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 804वीं बैठक दिनांक 05.09.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया

.... परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान से लगी हुई एवं 500 मीटर की परिधि में कई अन्य खदानें परिलक्षित हो रही है जिस कारण प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत प्रतीत होता है तथा प्रस्तावित खदान के बीचों बीच से एक पक्की सड़क निकल रही है। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है जिसके अनुसार निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण को निरस्त किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 05.09.2023 के माध्यम से प्रकरण को पुनः परीक्षण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ आगामी SEIAA बैठक में प्रकरण के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होवें।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक का ईमेल दिनांक 26.09.2023 के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक श्री पियूष चंदेल अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार श्री राकेश चौबे के साथ प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित हुए।

परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रकरण के संबंध में सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज के साथ आगामी SEIAA बैठक में सही जानकारी के साथ उपस्थित होवें।"

प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 23.10.2023 के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

उक्त प्रकरण में दिनांक 01.11.2023 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत पर्यावरण सलाहकार श्री वरूण भारद्वाज Zenith Environment Consultancy Nodia प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित हुए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) के समक्ष परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि उक्त प्रस्तावित खदान के बीच से निकल रही सड़क खदानों की एप्रोच रोड़ है आमजन रास्ता नहीं है। प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण सलाहकार के प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत पर निर्णय लिया गया कि उक्त सड़क गांव को जोड़ रही है जिससे कि आमजन की भी निकासी होती है जिससे निर्धारित दूरी छोड़ने उपरांत खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः SEIAA द्वारा 794वी बैठक दिनांक 28.09.2023 में लिये गये निर्णय को यथावत रखा जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनरीक्षित सरफेस प्लान सहित खनन योजना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर परिवेश पोर्टल पर पुनः आवेदन किया जाये। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

12. **प्रकरण क्र. 9036/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री जीवन रघुवंशी आत्मज श्री हेमसिंह रघुवंशी, निवासी ग्राम अकोलिया, तहसील व जिला धार (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 15,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हे0, खसरा क्रमांक 1022/1/जी/2,, ग्राम खेड़ा, तहसील धार, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 803वीं बैठक दिनांक 25.08.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 649वी बैठक दिनांक 07.06.2023 एवं 666वीं बैठक दिनांक 04.08.2023 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया......

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये:-

1. *खदान क्षेत्र एवं स्टडी एरिया का विडरोज डाईग्राम ।*
2. *प्रस्तुतीकरण के समिति ने पाया कि वायु मापन के दौरान पी.एम. 2.5 की वैल्यू कम प्रतीत हो रही है, अतः म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, धार के क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से पी.एम. 2.5 की वैल्यू पुनः सत्यापित कर प्रस्तुत करे ।*

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 649वी बैठक दिनांक 07.06.2023 एवं 666वीं बैठक दिनांक 04.08.2023 के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित समय सीमा में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः प्रकरण को Delist किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 23.10.2023 के माध्यम से प्रकरण को Relist किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण को Relist कर SEAC को परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

13. प्रकरण क्र 10327/20201 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री नाहर पठान, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 28,200 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.70 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 469, ग्राम दास्ताखेड़ी, तहसील गुलाना, जिला शाजापुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 678वीं बैठक दिनांक 13.09.2023 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया......

"..........समिति ने परीक्षण के दौरान पाया की गूगल ईमेज के अनुसार प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. परिधि में एक अन्य खदान सरल क्रमांक 16 पर उल्लेखित है (10327/2023) जिसका रकबा 4.70 हे. है। प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी द्वारा अपने पत्र कमांक 1021 दिनांक 12/09/2023 के माध्यम से समिति को सूचित किया कि सर्वे न.0 469 रकबा 4.70 हे. क्षेत्र में स्थित दास्ताखेड़ी रेत खदान जो कि काली सिंध नदी में स्थित खदान को स्थानीय कारणों व व्यवहारिक दृष्टिगत रखते हूये जिला शाजापुर की 21 रेत खदानों के समूह से हटाया (पृथक) किया गया है। अतः सेक में उक्त खदान को विचारार्थ नहीं रखा जावें। समिति ने निर्णय लेते हुये खनिज अधिकारी के उक्त प्रस्ताव को मान्य करते हुये प्रकरण पर विचार नहीं किया।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 678वी बैठक दिनांक 13.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

14. प्रकरण क्र. 10260/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स गरिमा नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक, श्री विकास शर्मा, निवासी 104, 105, द्वितीय तल, श्री राम हेरिटेज, सूर्या अर्पाटमेंट के पास, कटोरा तालाब, जिला–रायपुर (छ.ग) द्वारा गोल्ड ब्लॉक एवं माइन वेस्ट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता गोल्ड ऑर– 12553, माइन वेस्ट– 119250 टन प्रतिवर्ष, रकबा 23.57 हे0 खसरा क्रमांक 848/2, 848/3, 1111,1118, 358, 847, 848/1, 849, 850, 851, 852, 854, 855, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 853, 1110, 1111, 1112/1 1112/1, 1112/3, 1114, 1115, 1116/1, 1116/2, 1117/1, 1117/2, 1119, 1120, 1121, 1122/1, 1122/2, 1122/3, 1122/4, 1125, 1126/1/1, 1126/1/2, 1126/2, 1126/3, 1123, 1127/1/1, 1127/1/2, 1127/2, 1127/3, 1144/1, 1144/2, 1144/3, 1144/4, 1128, 1124, ग्राम– चकरिया, तहसील– चितरंगी, जिला– सिंगरौली (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 665वी बैठक दिनांक 03.08.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है एवं तदुपरांत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 811वीं बैठक दिनांक 06.10.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 807वीं बैठक दिनांक 22.09.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 665वी बैठक दिनांक 03.08.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि गूगल ईमेज अनुसार खदान के अंदर स्थित आवासीय मकान एवं लीज के मध्य से निकल रहे आवागमन मार्ग परिलक्षित है। अतः उपरोक्त के संबंध में परियोजना प्रस्ताव ग्रामसभा ठहराव प्रस्ताव की प्रति सहित अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित होवें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 13.09.2023 के माध्यम से प्रकरण में स्पष्टीकरण हेतु प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने हेतु अनुरोध किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ आगामी SEIAA बैठक में उपस्थित होवें। तबतक प्रकरण को यथावत Delist रखा जाता है।

परियोजना प्रस्तावक का ईमेल दिनांक 13.10.2023 के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रकरण में दिनांक 01.11.2023 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा Creative Enviro Services Bhopal प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित हुए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत **पर्यावरण सलाहकार के स्पष्टीकरण** एवं SEAC की 623वी बैठक दिनांक 22.02.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामसभा से अनापत्ति ठहराव प्रस्ताव के साथ प्राप्त कर ईआईए प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत खदान क्षेत्र में स्थित कतिपय मकानों के रहवासियों का शासन के नियमानुसार R&R प्रक्रिया अनुपालन कर पुर्नस्थापना कार्ययोजना का समावेश ई.आई.ए. प्रतिवेदन में किया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू–जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।

V. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू–जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

VI. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रदूषण रोकधाम हेतु पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये तथा वृक्षारोपण प्रस्तावित योजना का विस्तृत विवरण ईआईए में शामिल की जावेगी।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

XI. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

XII. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

XIII. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

XV. पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए एवं इसका विश्लेषण ईआईए में शामिल किया जावे।

XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) कलस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।

XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

15. **प्रकरण क्र. 10403/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जितेन्द्र चन्देल, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 18,690 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 3.50 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 92, ग्राम मेंहदी–3, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 813वीं बैठक दिनांक 13.10.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 685वीं बैठक दिनांक 03.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि चूँकि उक्त प्रकरण क्र. 10408/2023 में ग्राम पंचायत मेंहदी द्वारा खदान स्वीकृत न किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है तथा प्रस्तावित खदान भी ग्राम मेंहदी में है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ स्पष्टीकरण हेतु प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होवें।

उक्त प्रकरण प्राधिकरण द्वारा दिनांक 01.11.2023 की बैठक में स्पष्टीकरण हेतु रखा गया किन्तु प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार उपस्थित नहीं हुए। अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु सूचित करते हुए प्रकरण को आगामी SEIAA बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाये। तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

16. प्रकरण क्र. 10408/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री जितेन्द्र चन्देल, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 25,830 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 3.50 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 92, ग्राम मेंहदी–1, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 813वीं बैठक दिनांक 13.10.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 685वीं बैठक दिनांक 03.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि चूँकि उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत मेंहदी द्वारा खदान स्वीकृत न किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ स्पष्टीकरण हेतु प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होवें।

उक्त प्रकरण प्राधिकरण द्वारा दिनांक 01.11.2023 की बैठक में स्पष्टीकरण हेतु रखा गया किन्तु प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार उपस्थित नहीं हुए। अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु सूचित करते हुए प्रकरण को आगामी SEIAA बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाये। तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

17. प्रकरण क्र. 10114/2023 परियोजना प्रस्तावक म.प्र. दि स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन, श्री रमेश भूमरकर, उप महाप्रबंधक, निवासी– पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनूअल विधि), उत्पादन क्षमता 4,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

हे0, खसरा क्रमांक 98, ग्राम भैरोघाट, तहसील शहपुरा, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 812वीं बैठक दिनांक 12.10.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 666वीं बैठक दिनांक 04.08.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 803 वी बैठक दिनांक 25.08.2023 में प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान से अपस्ट्रीम में 360 मीटर की दूरी पर पक्का रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्का रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।

अतः प्रकरण में उपरोक्त पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक एवं उनके अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ प्राधिकरण की आगामी बैठक मे स्पष्टीकरण हेतु उपस्थिती सुनिश्चित करें।

उक्त प्रकरण प्राधिकरण द्वारा दिनांक 01.11.2023 की बैठक में स्पष्टीकरण हेतु रखा गया किन्तु प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार उपस्थित नहीं हुए। अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु सूचित करते हुए प्रकरण को आगामी SEIAA बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाये। तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

18. प्रकरण क्र. 10148/2023 परियोजना प्रस्तावक म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री आशीष सिंह, निवासी पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रेत खदान, (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 24,768 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.60 हे0, खसरा क्रमांक 765, 2222, ग्राम रूहेरा, तहसील सेंवढ़ा, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 812वीं बैठक दिनांक 12.10.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 669वीं बैठक दिनांक 10.08.2023 एवं 683वीं बैठक दिनांक 29.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 805 वी बैठक दिनांक 06.09.2023 में प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

".. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के पूर्व दिशा में 805 मीटर की दूरी पक्का रोड़ ब्रिज परिलक्षित है परंतु SEAC समिति द्वारा प्रकरण में "यह खदान सिंध नदी में स्थित है तथा खदान क्षेत्र दो भागों में विभक्त है दोनों भाग के बीच मे से एक रोड ब्रिज स्थित है। जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रोड ब्रिज से दक्षिणी एंव उत्तरी भागों की दूरी कमशः 850 एंव 1500 मी. है। खनन कार्य मात्र उत्तरी भाग से किया जावेगा एंव दक्षिणी भाग को गैर खनन क्षेत्र के रूप रखा जायेगा" की अनुशंसा की गई है जो कि गूगल ईमेज अनुसार परिलक्षित नहीं है।

उक्त प्रकरण में परिवेश पोर्टल एवं अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र दो भागों में विभक्त होना एवं दोनों भाग के बीच मे से एक रोड ब्रिज स्थित होना परिलक्षित नही है । अतः प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक एवं उनके अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ प्राधिकरण की आगामी बैठक मे स्पष्टीकरण हेतु उपस्थिती सुनिश्चित करें।

उक्त प्रकरण प्राधिकरण द्वारा दिनांक 01.11.2023 की बैठक में स्पष्टीकरण हेतु रखा गया किन्तु प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार उपस्थित नहीं हुए। अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु सूचित करते हुए प्रकरण को आगामी SEIAA बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाये। तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

19. प्रकरण क्र 9761/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री आशीष पाठक आत्मज श्री रमेश पाठक, निवासी वार्ड नं. 06, पाठक निवास, धिमरॉला मोहल्ला, नगर परिषद, सटई, लखनगुवां, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर व एम सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 19788.5 व एम सेण्ड82278.5 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 5(S), ग्राम पिपरिया घन, तहसील बटियागढ़, जिला दमोह (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 807वीं बैठक दिनांक 22.09.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा 783वीं बैठक दिनांक 03.05.2023 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 634वी बैठक दिनांक 07.04.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट—ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार खनन क्षेत्र के पूर्व दिशा में 35 मीटर पर स्ट्रक्चर निर्मित है एवं खदान के अंदर कंटूर ट्रेंचेस परिलक्षित है। अतः खदान के पूर्व दिशा में निर्मित स्ट्रक्चर क्या है एवं उसको खनन से कोई क्षति तो नहीं होगी के संबंध में जिला कलेक्टर से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये तथा खदान में स्थित कंटूर ट्रेंचेस के संरक्षण के संबंध में परियोजना प्रस्तावक संबंधित विभाग से 15 दिवस में अनापत्ति प्राप्त कर प्रस्तुत करें। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	**(अनिल कुमार शर्मा)**	**(अरूण कुमार भट्ट)**
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 13.09.2023 के माध्यम से प्रकरण में चाही गई जानकारी प्रस्तुत कर पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि चूँकि उक्त जानकारी कार्यालय कलेक्टर द्वारा पत्र/ई–मेल के माध्यम से प्रेषित नहीं की गई है। अतः उक्त जानकारी कार्यालय कलेक्टर द्वारा सीधे प्राप्त होने पर प्रकरण को आगामी SEIAA बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाये। तबतक प्रकरण को यथावत Delist रखा जाता है।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) दमोह द्वारा ई–मेल दिनांक 26.09.2023 के माध्यम से प्रकरण में चाही गई जानकारी पत्र क्रं. 630 दिनांक 04.09.2023 से प्रस्तुत की गई है।

उक्त प्रकरण में खनिज अधिकारी जिला दमोह द्वारा प्रस्तुत जानकारी न तो कलेक्टर द्वारा प्रेषित की गई है और न ही प्राधिकरण के निर्णयानुसार प्रस्तुत की गई है। अतः प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण के 783वी बैठक दिनांक 03.05.2023 में लिये गये निर्णयानुसार प्रस्तावित क्षेत्र में खनन संक्रिया हेतु स्पष्ट अभिमत कलेक्टर दमोह से प्राप्त किया जाये। तबतक प्रकरण को यथावत Delist रखा जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

20. **Case No 9385/2022:**Prior Environment Clearance for Proposed Development of Tilghara Industrial Park at Village - Tilghara, Tehsil - Badnawar, Dist. Dhar, MP by M/s M.P.Industrial Development Corporation, Shri Ajay Kumar Jain, Executive Engineer, 101, 1st floor, Atulya IT Part, Khandwa Road, Dist. Indore, MP – 452010

प्रकरण पर 811 *SEIAA* बैठक दिनांक 06.10.23 में विचार विमर्श उपरांत कुछ विन्दुओं पर जानकारी चाही गई जो परियोजना प्रस्तावक द्वारा *EDS reply* दिनांक 23.10.23 के माध्यम से चाही गई जानकारी प्रस्तुत की गई है जो निम्नानुसार है :–

SNo.	ADS Query	Response
1.	औद्योगिक पार्क के क्षेत्र में तीन–चार तालाब दिखाई दे रहे है, जिला स्तरीय वेटलैण्ड प्राधिकरण समति से तकनीकी परमर्श प्राप्त कर उनका पर्यावरण संरक्षण एवं सर्वधन के लिये प्रस्तावित कार्य योजना।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तावित परियोजना के लिए परियोजना प्रस्तावक द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि वेटलैंड अथॉरिटी और एसईएसी से प्राप्त सभी सुझाव को स्वीकारते हुए परियोजना स्थल के तालाब में इको पार्क विकसित किया जायेगा । यह इको पार्क स्थानीय लोगों के लिए प्रदेश खुला रहेगा। प्रस्तावित इको पार्क में निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित किये गये है– •तालाब के चारों और इको ट्रैक का विकास। •सभी स्ट्रीट लाइटें गार्डन लाइटें सोलर आधारित होंगी। •नेचर ट्रेल्स का विकास। •गजेबो का विकास। •ट्रेल्स का विकास। •बैठने की बेंचों का विकास। •पानी के छिड़काव की व्यवस्था

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

		•हैंगिगं ब्रिज का विकास। •हरियाली और मिंडो विकास •तालाब का गहरीकरण **उपरोक्त कार्य के लिए 1.1 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।**
2	इन तालाबों के जल संग्रहण क्षेत्र (Catchment Area) के पर्यावरण प्रबंधन तथा तालाबों में प्रदूषण की रोकधाम के साथ ही आने वाले पानी की मात्रा एवं गुणवत्ता को कैसे नियंत्रित करेगें।	इसके लिए उचित चैनलाइजेशन प्रस्तावित किया गया है,900 केएलडी क्षमता का एसटीपी प्रस्तावित है जो कि एमबीआर तकनीक का होगा तथा जलग्रहण क्षेत्र में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित वाटर मॉनिटरिंग की जावेगी।
3	प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के समीपस्थ स्थित वन क्षेत्र के संरक्षण हेतु आवश्यक वन विभाग के सक्षम प्राधिकारी की अनापति/सहमति प्रमाण पत्र एवं वन क्षेत्र की संवेदनशीलता को ध्यान में रख कर उस पर पड़ने वाले प्रभाव एवं कार्य योजना।साथ ही परियोजना स्थल के दस किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क, सैंक्चुअरी एवं संवेदन क्षेत्र के सम्बन्ध में जिला वन मंडल अधिकारी से अनापत्ति प्राप्त कर प्रस्तुत करे।	वन विभाग के सक्षम प्राधिकारी की अनापति/सहमति प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत की गई है। इस सन्दर्भ में न्यायालय कलेक्टर जिला धार (म. प्र.) द्वारा जारी आदेश दिनांक 21.09.2020 संलग्न है जिसमे उल्लेखित है कि " *भूमि आवंटन के सम्बन्ध में सम्बंधित विभागों से अभिमत प्राप्त किये जाने हेतु पत्र जारी किये गए । ग्राम पंचायत की और से आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में अनापत्ति प्राप्त हुई । अन्य विभागों से समयावधि में अभिमत प्राप्त न होने की दशा में उनकी मौन स्वीकृति मानी जाकर आगामी कार्यवाही की गई । प्रश्नाधीन भूमि वन तथा छोटे बड़े झाड़ के जंगलो के रूप में परिभाषित नहीं है ।*
4	परियोजना स्थल के आस–पास नदी नालों पर औद्योगिक क्षेत्र. के कारण पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उपाय एवं उसका प्रबंधन प्रस्तुत करें।	उद्योगों से उत्पन्न सीवेज के उपचार के लिए 900 केएलडी सीएसटीपी प्रस्तावित किया गया है, रिसाइकिल पानी का उपयोग हरित बेल्ट विकास के लिए किया जाएगा। परियोजना स्थल की पूरी परिधि में 5 पंक्ति सघन वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है। अपशिष्ट जल के उपचार के लिए व्यक्तिगत उद्योग अपना स्वयं का ईटीपी स्थापित करेंगे। (आवश्यकता के आधार पर)
5	SEAC की 681 वीं बैठक दिनांक 25.09.2023 में प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों को भी परिवेश पोर्टल पर अपलोडकरे।	फाइल का साइज ज्यादा होने के कारण डाक्यूमेंट्स परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं के कारण डाक्यूमेंट्स को ईमेल द्वारा सबमिट किया गया है।

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (रा.स्त.वि.मू.स.) की 681 वीं बैठक दिनांक 25.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो सहित पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया है।जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृ.क्र. 01 से 12 पर अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार की जानकारी संतोषप्रद पायी गयी एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 681 वीं बैठक दिनांक 25.09.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:—

i. औद्योगिक पार्क के क्षेत्र में स्थित तालाबों हेतु, जिला स्तरीय वेटलैण्ड प्राधिकरण समति से तकनीकी परमर्श कर प्रस्तावित कार्यों को विकसित किया जाना सुनिश्चित करे।

ii. वन विभाग के सक्षम प्राधिकारी की अनापति/सहमति प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत की गई है, जिसे अनिवार्य उप से प्राप्त कर अनुपालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करे

iii. प्रस्तावनानुसार परियोजना स्थल की पूरी परिधि में 5 पंक्ति सघन वृक्षारोपण किया जाना सुनिश्चित करे।

iv. उद्योग से उपचारित जल का उपयोग ग्रीन बेल्ट विकसित करने तथा उचित पाये जाने पर उद्योगों में उपयोग किया जाना सुनिश्चित करे।

v. उद्योग हेतु प्रस्तावित 1 MLD जल आपूर्ति हेतुव्यवस्था किये जाने की जिम्मेदारी परियोजना प्रस्तावक की होगी।

vi. औद्योगिक पार्क में स्थापित होने वाली परियोजनाओं में अपशिष्ट जल के उपचार के लिए व्यक्तिगत रूप से ईटीपी स्थापित किया जाना एवं सम्ब्नधित अन्य व्यवस्थाओं का उचित प्रबंध सुनिश्चित करे।

vii. खतरनाक रसायनों, गैसों के प्रबंधन पर समुचित ध्यान रखा जाये एवं आपदा से निपटने के लिये समय—समय पर माकड्रिल आयोजित की जाये।

viii. औद्योगिक पार्क में स्थापित होने वाली परियोजनाओं को EIA अधिसूचना 2006 में सम्मिलित होने के स्थिति में पृथक से परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करनी होगी ।

ix. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण सम्बंधित सुरक्षा, वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था, उद्योगों से निकलने वाली दूषित जल की उपचार एवं पुनरुपयोग की व्यवस्था आदि का समय समय पर निरक्षण किया जाना सुनिश्चित करे।

x. परियोजना प्रस्तावक स्थानीय लोगो के जमीन परियोजना में शामिल होने की दशा में मुआवजा दिए जाने सम्बंधित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

xi. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत पूर्ण रूप से EMP में प्रस्तावित सभी सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

xii. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिये गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर लक्ष्य प्राप्ति हेतु सतत् प्रयत्न अनिवार्य रूप से किया जाये।

xiii. जन सुनवाई के दौरान दी गई आश्वासन का परिपालन किया जाना सुनिश्चित करे।

xiv. माननीय उच्च न्यायालय, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण या अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक पर बाध्यकारी होगा।

xv. MPSEIAA द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 19.06.23 के अनुसार यदि परियोजना में भू जल निकासी की जाती है तो निम्नानुसार निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करे :–

a. जिन मामलों में पानी की आपूर्ति पानी के टैंकरों के माध्यम से की जानी है, उन परियोजनाओं में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पानी की आवश्यकता को केवल लाइसेंस प्राप्त टैंकर जल आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

b. सक्षम प्राधिकारी (सीजीडब्ल्यूबी/सीजीडब्ल्यूए) की पूर्व अनुमति के बिना भूजल निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। तदानुसार, भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी की प्रति सभी नियामक प्राधिकरणों, अर्थात् प्राधिकरण (राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण), क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार, भोपाल, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।

c. परियोजना प्रस्तावक भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी में किए गए अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और इसकी स्थिति छह मासिक अनुपालन रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत करेंगे।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 681 वीं बैठक दिनांक 25.09.2023 की कार्यवाही विवरण, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों के साथ उपरोक्त बिंदु I से XV को एव परिशिष्ट–3 को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

21. **Case No 9770/2023**: Prior Environment Clearance for Capacity expansion of 44490 TPA (Existing 12250 TPA and proposed 32240 TPA) and Diversification in Manufacturing of Sulfonated Product at Plot No. 24A, Mandideep Industrial Area, Tehsil- Gauharganj, District- Raisen (MP) by Shri Sukumar Kaliyaperumal, GM, M/s Standard Surfacts NTS Ltd., 8/15, Arya Nagar, Kanpur (UP)-208002 Email:- gmoperations @ standardsurfactants.com Mob: 9791178117

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 815वी बैठक दिनांक 01.11.2023 का कार्यवाही विवरण

प्रकरण पर 814 *SEIAA* बैठक दिनांक 19.10.23 में विचार विमर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686 वीं बैठक दिनांक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में मानक शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया कि चूँकि परियोजना परियोजना में सल्फर का उपयोग एवं सल्फियूरिक एसिड उत्पाद का निर्माण किया जाना है जो काफी हानिकारक होता है अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा इसके उचित प्रबंधन हेतु क्या व्यवस्था की जा रही है इसके प्रस्तावित व्यवस्था के स्पष्टीकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होवें।

उपरोक्त निर्णयानुसार परियोजना प्रस्तावक श्री सुकुमार कलियापेरुमल, जीएम, मेसर्स स्टैंडर्ड सर्फेक्ट्स एनटीएस लिमिटेड एवं श्री उमेश मिश्रा, **Creative Enviro Services Bhopal**, पर्यावरण सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा विस्तृत रूप से परियोजना सम्बंधित जानकारी प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई ।

1. उक्त प्रकरण प्लॉट नंबर 24ए, मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र, तहसील–गौहरगंज, जिला–रायसेन(एमपी) में 44490 टीपीए (मौजूदा 12250 टीपीए और प्रस्तावित 32240 टीपीए) के क्षमता विस्तार एवं सल्फोनेटेड उत्पाद के निर्माण में विविधीकरण के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी का है।
2. यह परियोजना मंडीदीप के अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है।मौजूदा परिसर में पर्याप्त भूमि है अर्थात 11891.59 वर्गमीटर और क्षमता विस्तार हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकतानहीं है।
3. परियोजना में 44490 टीपीए (मौजूदा 12250 टीपीए और प्रस्तावित 32240 टीपीए) की प्रस्तावितविस्तारित क्षमता के साथ विभिन्न प्रकार के सल्फोनेटेड उत्पादों का उत्पादन शामिल है।
4. परियोजना हेतु SEAC की 686 वीं बैठक दिनांक 04.10.2023 को पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है, जिसका कार्यवाही विवरण उक्त बैठक के पृष्ठ क्र.01 से 18 पर अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण सलाहकार की जानकारी संतोषप्रद पायी गयी एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 686 वीं बैठक दिनांक 04.10.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:–

i. परियोजना में उत्सर्जित खतरनाक अपशिष्टों का प्रबंधन पर विशेष व्यवस्थाओं पर ध्यान रखा जाये। उत्सर्जित खतरनाक अपशिष्ठों का लेखा रखा जाये एवं उनका निष्पादन कैसे हुआ का भी विवरण का रिकार्ड रखें। यह सतत् प्रक्रिया हो जिससे प्रतिदिन संधारित किये जाये एवं उनका विवरण मं.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अर्ध वार्षिक आधार पर भेजा जाये।

ii. परियोजना में उत्सर्जित अपशिष्ट को उद्योग के अंदर ज्यादा से ज्यादा रिसाइकल किया जाय एवं अधिकृत रिसाइकलरों को बेचा जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	**सदस्य**	**अध्यक्ष**

iii. खतरनाक रसायनों, गैसों के प्रबंधन पर समुचित ध्यान रखा जाये एवं आपदा से निपटने के लिये समय–समय पर माकड्रिल आयोजित की जाये।

iv. परियोजना में ZLD की शर्त अनिवार्य रूप से अधिरोपित है, परियोजना अंतर्गत उच्च COD वाले जल अपशिष्ट के MEE एवं ATFD द्वारा उपचारित किया जायेगा एवं निष्पादन हेतु भेजा जायेगा। निम्न COD वाले जल अपशिष्ट का उपचार ETP से उपचारित कर पुर्न उपयोग किया जायेगा।

v. परियोजना अंतर्गत उत्सर्जित अनुपयोगी (waste heat) उष्मा का समुचित प्रबंधन कर पुर्नउपयोग किया जाये।

vi. परियोजना पानी की आवश्यकता की पूर्ति AKVN से की जाना सुनिश्चित करे।

vii. MPSEIAA द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 19.06.23 के अनुसार यदि परियोजना में भू जल निकासी की जाती है तो निम्नानुसार निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करे :–

a. जिन मामलों में पानी की आपूर्ति पानी के टैंकरों के माध्यम से की जानी है, उन परियोजनाओं में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पानी की आवश्यकता को केवल लाइसेंस प्राप्त टैंकर जल आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

b. सक्षम प्राधिकारी (सीजीडब्ल्यूबी / सीजीडब्ल्यूए) की पूर्व अनुमति के बिना भूजल निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। तदानुसार, भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी की प्रति सभी नियामक प्राधिकरणों, अर्थात् प्राधिकरण (राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण), क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार, भोपाल, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।

c. परियोजना प्रस्तावक भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी में किए गए अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और इसकी स्थिति छह मासिक अनुपालन रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत करेंगे।

viii. संयंत्र उत्पाद परिवहन हेतु ई–वाहनों की संभावनाओं को भी तलाशा जावें।

ix. ईकाई से निकलनेवालीदुर्गन्ध के शमन के लिये Guidelines on Odour Pollution & Its Control, May 2008, Central Pollution Board, Ministry of Environment Govt. of India के सुझाये उपायों के अनुकुल व्यवस्था की जाये।

a. दुर्गन्ध उत्पन्न करनेवाले घटकों को चिहिन्त कर उनके लिये पर्याप्त बफर जोन रखा जाये। ETP के आसपास भूदृश्यीकरण कर उसे सुसज्जित करे साथ ही सुगंध उत्पन्न करने वाले पौधों / झाड़ियोंका रोपण इस क्षेत्र में करे।

b. दुर्गन्ध वाले क्षेत्रों की सीमा रेखा पर नोजल स्प्रेयर एवं एटलाइजर का निरंतर छिड़काव की व्यवस्था की जाये।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

c. उपाय जैसे मिस्ट फिल्टरेथन, वेटस्क्रबिंग, केमिकल उपचार एवं ग्रीनबेल्ट जैसे अन्य उपायों से दुर्गन्ध शमन पर प्रभावी कदम उढ़ाये जाये।

x. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिये गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO_2 उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर लक्ष्य प्राप्ति हेतु सतत् प्रयत्न अनिवार्य रूप से किया जाये।

xi. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत पूर्ण रूप से EMP में प्रस्तावित सभी सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे।

xii. माननीय उच्च न्यायालय, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण या अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक पर बाध्यकारी होगा।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 686 वीं बैठक दिनांक 04.10.2023 की कार्यवाही विवरण, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से विशिष्ट शर्तों के साथ उपरोक्त बिंदु i से xii को एव परिशिष्ट–4 को शर्तों में शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

<u>नीतिगत निर्णय :–</u>

(क). गौण खनिज – रेत खनिज के अतिरिक्त के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदित प्रकरणों में CER एवं वृक्षारोपण गतिविधियों का क्रियान्वयन बावत् निम्नानुसार कार्यवाही निर्णित की गई है :–

- प्रायः यह देख जा रहा है कि, प्राधिकरण द्वारा गौण खनिज के प्रकरणो में पूर्व में जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो मुख्यतः, CER एवं वृक्षारोपण गतिविधियों का परिपालन सुनिश्चित नही किया जा रहा है। इस संबध में प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की 804वीं बैठक दिनांक 05.09.2023 मे रेत खनिज के प्रकरणो में लिये गये नीतिगत निर्णय के समान समस्त गौण खनिज के प्रकरणों में भी SEAC द्वारा प्रकरणों की अनुशंसा में निम्नानुसार शर्त अधिरोपित की जाये।

1. *परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाई जाये। इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि शासन के नियगानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा की जाये।*

2. *जिला कलेक्टर द्वारा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित विशिष्ट शर्तो के अनुसार सी.ई.आर गतिविधियों हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थनीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यो कि आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाया जायें। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्तो के परिपालन हेतु नियमानुसार आशवयक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधयों क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायें।*

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

- उपरोक्त संबध में जिला स्तर पर स्थल निरीक्षण करवाकर संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के दृष्टिगत एवं जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो मुख्यतः वृक्षारोपण हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग के माध्यम से क्रियान्वित करवाये जाने एवं CER गतिविधियों हेतु निर्धारित कार्य एवं लक्ष्य की पूर्ति संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थनीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यो कि आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाये जाने के दृष्टिगत म.प्र. राज्य खनिज निगम एवं संबधित जिला कलेक्टर को दिशा निर्देश प्रसारित करने हेतु संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये ।

(ख). प्राधिकरण द्वारा समय – सीमा में प्रकरणों के निराकरण हेतु लिये गये नीतिगत निर्णय के अनिवार्यतः परिपालन बावत्

प्राधिकरण की 770वीं बैठक दिनांक 02.02.2023 में पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों के निराकरण निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

.... सदस्य सचिव, SEAC द्वारा उक्त समय–सीमा के दृष्टिगत प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु आवश्यक सुझाव यथाशीघ्र प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जायें। यहाँ उल्लेखनीय है कि SEIAA द्वारा पूर्व में लिये गये निर्णय अनुसार SEAC द्वारा अनुशंसा हेतु ToR के लिये 15 दिवस एवं EC के लिये 30 दिवस की समय–सीमा निर्धारित की गई है, जिससे प्रकरणों का निराकरण समय–सीमा में हो सके। अगर परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC को नियमानुसार वांछित जानकारी समय–सीमा में नहीं उपलब्ध कराई जाती है तो अधिकतम 30 दिवस की अवधि में Delisting की कार्यवाही की जावे।

पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रकरणों मे प्रायः यह देखा जा रहा है कि SEAC से निर्धारित समय सीमा में प्रकरणों की अनुशंसा प्राप्त नही हो रही है साथ ही परियोंजना प्रस्तावक को वांछित जानकारी प्रस्तुत करने हेतु 01 से अधिक अवसर प्रदान किये जा रहे है जिसके कारण प्रकरणों का निराकरण राज्य शासन की मंशा अनुरूप निर्धारित समय सीमा मे नही हो पा रहा है।

अतः SEAC द्वारा ToR के प्रकरणों का 15 दिवस एवं EC के प्रकरणों का 30 दिवस की समय–सीमा में अनुशंसा प्रदान किया जायें, साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC को नियमानुसार वांछित जानकारी समय–सीमा में नहीं उपलब्ध कराये जाने की स्थिती मे अधिकतम 30 दिवस की अवधि के उपरांत प्रकरण मे Delist किये जाने की अनुशंसा की जायें ।

(ग). पर्यावरणीय स्वीकृति के बी–1 श्रेणी के प्रकरणों में क्लस्टर का इन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का विस्तृत परीक्षण करने बावत्

प्रायः यह देखा जा रहा है कि पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रकरणों में SEAC द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में प्राधिकरण द्वारा बी–1 श्रेणी (क्लस्टर) ToR के प्रकरणों में अधिरोपित की जा रही शर्तो का समावेश परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई ए. रिपोर्ट में नही किया जा रहा है।

अतः भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में प्राधिकरण द्वारा बी–1 श्रेणी (क्लस्टर) ToR के प्रकरणों में अधिरोपित की जा रही शर्तो का समावेश अनिवार्यतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई ए. रिपोर्ट में किया जाये साथ ही SEAC द्वारा समस्त ई.आई ए. रिपोर्ट में क्लस्टर के इन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का विस्तृत परीक्षण किया जाना अपेक्षित हैं ।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

परिशिष्ट–1

गौण खनिज (रेत खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तेः

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 26.09.2022 में निहित प्रावधान अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।
2. संबंधित जिले के जिला खनिज अधिकारी **यह सुनिश्चित करें कि अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में** प्रस्तावित खदान हेतु उल्लेखित खनिज की **कुल** मात्रा से अधिक का **उत्खनन न हो।**
3. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चत किया जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारो ओर की जाये।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
9. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
10. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

12. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
16. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
17. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
18. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
20. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
23. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
24. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :–

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा
26. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

परिशिष्ट–2

मुख्य खनिज श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क (टॉर रोड़) बनाया जाये, जिससे 20 टन भार (डम्पर/ट्रक्स खनिज सहित) का परिवहन किया जा सके।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत उर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चत किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर) की स्थापना की जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
6. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
9. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
12. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
13. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
14. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्हीं भी परिस्थितियों में अपशिष्ठ दृव्य (Waste Water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।
16. परियोजना प्रस्तावक खदान के समीपस्थ (1 किलोमीटर की परिधि में) क्षेत्र में स्थित ट्यूबवैल, बोरवैल, कुओं/बावड़ीयों के जल की गुणवत्ता का प्रत्येक छः माह में आकलन कर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टिगत Zero Discharge पद्धति आधारित खनन गतिविधि का संचालन किया जायेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी क्षेत्र से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण का आकलन प्रत्येक छः माह में किया जाकर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान परिसर एवं परिवहन/पहुंच मार्ग पर प्रतिदिन दो बार पानी का छिड़काव किया जायेगा।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक वर्ष में दो बार खदान में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों का शासकीय चिकित्सालय से समन्वय कर चिकित्सा परीक्षण करवाया जायेगा।

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

22. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

23. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

25. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

28. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

29. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

परिशिष्ट–3

1. PP should ensure zero waste water discharge from the process. As per the proposal submitted 100% waste water shall be re-cycled in the process. No water shall be discharged outside the premises.
2. Waste water Management:
   (a) PP should maintain zero discharge from the Industry as proposed.

   (b) Separation of High & Low COD values effluent for better management of process effluent.

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(c) RO treated water will be recycle for the process and High COD effluent generation shall be completely evaporated with help of MEE so as to achieve zero discharge.

(d) There shall be no industrial effluent discharge from the unit.

3. For Air Pollution:

(a) PP should ensure air pollution control measures and stack height as proposed in the EIA/ EMP.

(b) The performance of air pollution control system should be regularly monitored and maintained.

(c) PP should ensure regular stack monitoring & ambient air quality monitoring and should be carried out as per the guidelines/norms of MPPCB/CPCB.

(d) In plant control measures for checking fugitive emission from all the vulnerable sources shall be provided. Fugitive emission shall be controlled by providing closed storage, closed handling & conveyance of chemicals/materials, multi cyclone separator/bag filters and water sprinkling system.

(e) Dust suppression system including water sprinkler system/ foaming arrangement shall be provided at loading and unloading areas to control dust emission.

(f) Fugitive emission in the work zone environment, product, raw material storage areas etc. shall be regularly monitored.

(g) Transportation of raw material and finished goods should be carried out in covered trucks.

4. Hazardous Waste:

(a) PP should ensure disposal of hazardous waste regularly and there should be no dumping of these materials in the premises/outside.

(b) PP should ensure handling, disposal and management of hazardous waste as per the related prescribed rules.

(c) PP should obtain renewal of authorization regularly from MPPCB for collection storage and disposal of hazardous waste (Management, Handling & Trans Boundary Movement) Rules 2008 and its amendments. Membership of the TSDF should be obtained for hazardous waste disposal.

(d) Hazardous chemicals should be stored in sealed tanks, drums etc. Flame arrestors shall be provided on tanks. To avoid the spillage from processing unit, Industry shall provide fully mechanized filling and packaging operation unit.

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(e) PP should provide RCC layer and double layered HDPE lining for primary and secondary leachate collection.

5. PP should ensure installation of photovoltaic cells (solar energy) for lighting in common areas, LED light fixtures and energy efficient equipments.
6. Green Belt:
   (a) PP should ensure plantation in area of 33% of the total plot area and Plantation in the project area of indigenous local varieties like Neem, Peepal, Kadam, Kachnaar etc.

   (b) Every effort should be made to protect the existing trees on the plot.

   (c) Green area including thick green-belt shall be developed in the plot area to mitigate the effect of fugitive emissions all around the project area in consultation with the forest department as per the guidelines of CPCB.
7. PP should ensure the implementation of CER activities on regular basis in consultation with the Gram Panchayat of the respective villages & also adopt nearby villages for development of infrastructure in Anganwadi.
8. PP should obtain NOC /approval from competent authority for health & safety measure, Onsite & Offsite disaster management, and Risk management plan before commencing the operation of the unit.
9. In the event of failure of any pollution control system adopted by the unit, the unit shall be safely closed down and shall not be restarted until the desired efficiency of the control equipment has been achieved.
10. PP should ensure to conduct regular on site and of site mock drill as per Health and Safety Norms.
11. Total quantity of runoff water generated and green belt area should be collected in underground tank & used for process in plant to minimize fresh water requirement.

परिशिष्ट–4

1. PP should ensure zero waste water discharge from the process. As per the proposal submitted 100% waste water shall be re-cycled in the process. No water shall be discharged outside the premises.
2. Waste water Management:
   (a) PP should maintain zero discharge from the Industry as proposed.

   (b) Separation of High & Low COD values effluent for better management of process effluent.

   (c) RO treated water will be recycle for the process and High COD effluent generation shall be completely evaporated with help of MEE so as to achieve zero discharge.

   (d) There shall be no industrial effluent discharge from the unit.
3. For Air Pollution:

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(a) PP should ensure air pollution control measures and stack height as proposed in the EIA/ EMP.

(b) The performance of air pollution control system should be regularly monitored and maintained.

(c) PP should ensure regular stack monitoring & ambient air quality monitoring and should be carried out as per the guidelines/norms of MPPCB/CPCB.

(d) In plant control measures for checking fugitive emission from all the vulnerable sources shall be provided. Fugitive emission shall be controlled by providing closed storage, closed handling & conveyance of chemicals/materials, multi cyclone separator/bag filters and water sprinkling system.

(e) Dust suppression system including water sprinkler system/ foaming arrangement shall be provided at loading and unloading areas to control dust emission.

(f) Fugitive emission in the work zone environment, product, raw material storage areas etc. shall be regularly monitored.

(g) Transportation of raw material and finished goods should be carried out in covered trucks.

(h) For control of fugitive emission and VOCs following steps should be followed:-

- Chilled brine circulation system shall be provided and it should be ensured that the solvent recovery efficiency will not be less than 95%.
- Reactor and solvent handling pump shall be provided with mechanical seal to prevent leakage.
- Closed handling system should be provided for chemicals.
- System of leak detection and repair of pump/pipeline should be based on preventive maintenance.
- Solvent shall be taken from underground storage tank to reactor through closed pipeline. Storage tank shall be vented through trap receiver and condenser operated on chilled water.

4. Hazardous Waste:

(a) PP should ensure disposal of hazardous waste regularly and there should be no dumping of these materials in the premises/outside.

(b) PP should ensure handling, disposal and management of hazardous waste as per the related prescribed rules.

(मुजीबुर्रहमान खान)	(अनिल कुमार शर्मा)	(अरूण कुमार भट्ट)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

(c) PP should obtain renewal of authorization regularly from MPPCB for collection storage and disposal of hazardous waste (Management, Handling & Trans Boundary Movement) Rules 2008 and its amendments. Membership of the TSDF should be obtained for hazardous waste disposal.

(d) Hazardous chemicals should be stored in sealed tanks, drums etc. Flame arrestors shall be provided on tanks. To avoid the spillage from processing unit, Industry shall provide fully mechanized filling and packaging operation unit.

(e) PP should provide RCC layer and double layered HDPE lining for primary and secondary leachate collection.

5. PP should ensure installation of photovoltaic cells (solar energy) for lighting in common areas, LED light fixtures and energy efficient equipments.
6. Green Belt:
   (d) PP should ensure plantation in area of >33% (as committed) of the total plot area and Plantation in the project area of indigenous local varieties like Neem, Peepal, Kadam, Kachnaar etc.

   (e) Every effort should be made to protect the existing trees on the plot.

   (f) Green area including thick green-belt shall be developed in the plot area to mitigate the effect of fugitive emissions all around the project area in consultation with the forest department as per the guidelines of CPCB.

7. PP should ensure the implementation of CER activities on regular basis in consultation with the Gram Panchayat of the respective villages & also adopt nearby villages for development of infrastructure in Anganwadi.
8. PP should obtain NOC /approval from competent authority for health & safety measure, Onsite & Offsite disaster management, and Risk management plan before commencing the operation of the unit.
9. In the event of failure of any pollution control system adopted by the unit, the unit shall be safely closed down and shall not be restarted until the desired efficiency of the control equipment has been achieved.
10. PP should ensure to conduct regular on site and of site mock drill as per Health and Safety Norms.
11. PP should ensure disposal of storm water (if any) to linkage with AKVN drainage system.
12. Total quantity of runoff water generated and green belt area should be collected in underground tank & used for process in plant to minimize fresh water requirement.

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष